राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/08/51 दिनाँक : 22/1/09

निदेशक,
ईएसआई/भ्रमणशील चिकित्सा ईकाई/
पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन – राजस्थान।

समस्त अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय समुह, राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

प्रधानाचार्य, आरएफपीटीसी, जयपुर/अजमेर।

परिपत्र

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि अराजपत्रित सेवा संवर्ग के अनेक कर्मचारियों के स्थाईकरण प्रस्ताव उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के अनेक वर्षों बाद, हर कर्मचारी के लिये अलग–अलग, निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं, जिससे कर्मचारियों को तो असुविधा उत्पन्न होती ही हैं, निदेशालय में भी हर कर्मचारी के लिए अलग कार्यवाही चलाने के कारण कार्य में दोहरापन बढता है। तथा ऐसा करना शासन की पारदर्शिता पूर्ण प्रशासन देने की मंशा के भी विपरीत हैं। वास्तव में तो स्थाईकरण हेतु पात्र सभी कर्मचारियों के प्रस्ताव ईकजाई कर शीघ्र प्रेषित किये जाने चाहिये, ताकि उन्हें प्राप्त होने वाले सेवालाभ में कोई विलम्ब न हो, तथा कर्मचारियों के बीच भेदभाव का आरोप भी न लगे।

अतः सभी अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता हैं कि 31.12.2008 तक नियमित नियुक्ति के पश्चात 2 वर्ष का परिवीक्षा काल, संतोषप्रद कार्य व्यवहार के साथ, सफलता पूर्वक पूर्ण कर चुके एवं नियुक्ति आदेशों की सभी शर्तो की पालना कर चुके अराजपत्रित सेवा संवर्ग के सभी कर्मचारियों के स्थाईकरण प्रस्ताव निम्न प्रपत्र में विशेष वाहक के साथ इस निदेशालय को प्रेषित करें, ताकि उन सभी के स्थाईकरण आदेश अब बिना और विलम्ब के जारी किये जा सकें।

साथ ही प्रपत्र के अन्त में अंकित प्रमाण पत्र भी हस्ताक्षरित करें। भविष्य में भी हर माह के अन्त में अपने स्तर पर समीक्षा कर, यह सुनिश्चित कर लें कि स्थाईकरण हेतु जिस–जिस कर्मचारी की पात्रता पूर्ण होती जावे, उन सभी के स्थाईकरण प्रस्ताव आगामी माह की 10 तारीख को ईकजाई इसी प्रपत्र में भेज दी जावें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

प्रपत्र

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति आदेश कमांक व दिनाँक	पदस्थापन स्थान
1.	2.	3.	4.	5.

पद पर कार्य करने/उपस्थिति देने की तिथि	कार्य एवं व्यवहार के संबंध में टिप्पणी	विभागीय जाँच/फौजदारी केस, यदि लम्बित/विचाराधीन/प्रस्तावित है, तो उसका विवरण	विशेष विवरण
6.	7.	8.	9.

नोट :– प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त इस विभाग/कार्यालय/संस्था के अधीन किसी कर्मचारी का स्थाईकरण प्रस्ताव भेजना शेष नही हैं।